निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :—105/22
दायरा दिनांक :—14.10.22
निर्णय दिनांक :— 23.12.22

उनवान

1. रानीबाई बेवा बनवारी लाल जाति धाकड़ निवासी पटना तहसील अटरू जिला बारां राज0
2. अभिषेक पुत्रबनवारी लाल जाति धाकड़ निवासी पटना तहसील अटरू जिला बारां राज0
3. खुशी पुत्रीबनवारी लाल नाबालिग जर्येवली माता रानीबाई बेवा बनवारी लाल जाति धाकड़ निवासी पटना तहसील अटरू जिला बारां राज0
4. समझकंवर पुत्री मूलचन्द जाति धाकड निवासी पटना तहसील अटरू जिला बारां राज0
5. शशिकंवर पुत्री मूलचन्द जाति धाकड निवासीगण पटना तहसील अटरू जिला बारां राज0

—प्रार्थीगण

बनाम

1. मूलचन्द मुतबन्ना जगन्नाथ जाति धाकड निवासी पटना तहसील अटरू जिला बारां राज0
2. मुकेश कुमार पुत्र मुलचन्द जाति धाकड़ निवासी पटना तहसील अटरू जिला बारां राज0
3. रामस्वरूप पुत्र प्रभूलाल जाति धाकड़ निवासी पटना हाल बिजली ऑफिस बस्ती (ए0ई0एन0)तहसील अटरू जिला बारां राज0

—अप्रार्थीगण

प्रर्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक :— 23.12.22

अभिभाषक उपस्थित :—1. श्री रामप्रसाद नागर —प्रार्थी

2. श्री धर्मेन्द्र चौधरी— अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212आर0 टी0 एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके माल एवं ग्राम पटना तहसील अटरू जिला बारां राज0 में भूमि खाता सं0 170 की खसरा नं0 148 रकबा 0.87 हे0, खसरा नं0 162 रकबा 0.51 हे0,खसरा नं0 257 रकबा 0.97 हे0,खसरा नं0 259 रकबा 0.90 हे0,खसरा नं0 271 रकबा 0.21 हे0,खसरा नं0 272 रकबा 0.13 हे0,खसरा नं0 322 रकबा 1.61 हे0,खसरा नं0 390 रकबा 0.26 हे0,खसरा नं0 480 रकबा 0.19 हे0,खसरा नं0 483 रकबा 0.38 हे0,खसरा नं0 485 रकबा 0.09 हे0,कुल 11 किता रकबा 6.12 हे0, भूमि अप्रार्थी कम 1 के

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

खातेदारी में दर्ज है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर है। वाके माल एवं ग्राम महाराजपुरा तहसील अटरू जिला बारां राज0 में भूमि खाता 136 का खसरा नं0 263 का रकबा 0.11 हे0, खसरा नं0 346 रकबा 0.23 हे0, खसरा नं0 347 रकबा 0.08 हे0,खसरा नं0 350 रकबा 0.13 हे0,खसरा नं0 716 रकबा 0.19 हे0, कुल 5 किता का रकबा 0.74 हे0 भूमि अप्रार्थी कम 1 के खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 2 व 3 में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति है। जो पूर्वजों के समय से चली आ रही है। जो अप्रार्थी कम 1 द्वारा स्वअर्जित नहीं है। तथा उसे उसके पिता पृथ्वीलाल के भाई जगन्नाथ से विरासत में प्राप्त हुई है। विवादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त सम्पति है। प्रार्थीगण 1 अप्रार्थी कम 1 की पुत्रवधु व प्रार्थी कम 2 व 3 की पोत्र हैं। व प्रार्थी कम 4 व 5 पुत्रियां है। एवं अप्रार्थी कम 2 पुत्र है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 2 व 3 में वर्णित आराजी में प्रार्थी कम 2 ता 5 का जन्म से ही एवं प्रार्थी कम 1 का विवाह के समय से ही अधिकार प्राप्त है। जिसमें प्रार्थीकम 1 ता 3 का 1/5 व प्रार्थी कम 2 व 3 एवं अप्रार्थी कम 1 व 2 का प्रत्येक का 1/5, 1/5 हिस्सा निहित है। इसलिए प्रार्थी कम 1 ता 3 1/5 व 4,5 2/5 हिस्सा अर्थात संयुक्त रूप से 3/5 आराजी के हकदार है। जो अपना हिस्सा प्राप्त कर राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी कम 1 ता 3 हिस्सा 1/5 व प्रार्थी 4 व 5 का हिस्सा 2/5 अर्थात् 3/5 संयुक्त रूप से अपने नाम दर्ज करवाकर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है।

अप्रार्थी कम 1 उक्त वादग्रस्त आराजी जिसमें प्रार्थीगण व अप्रार्थी कम 2 के भी संयुक्त रूप से हक–हकूक निहित है। जिसको अप्रार्थी कम 1 बिना किसी वैधानिक अधिकार के बिना बंटवारा करवाकर अपना हक निश्चित करवाये उक्त आराजी विवादग्रस्त को बेचान करना चाहता है। जिसमें प्रार्थीगण के हक–हकूक को नुकसान पहुंचेगा तथा प्रार्थीगण अपने हक–हकूको से महरूम हो जावेंगे इसलिए प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी में अपने हक की घोषणा करवाकर बंटवारा करते हुए अपने हिस्से की आराजी पर कब्जा प्राप्त करना तथा अप्रार्थी कम 2 को दोहराने दावा निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना आवश्यक हो गया है। अप्रार्थी कम 1 ने वाद ग्रस्त आराजी प्रार्थना पत्र कम सं0 2 में वर्णित में बिना किसी वैधानिक अधिकार के बिना बंटवारा करवाये खसरा नं0 322 का रकबा 1.61 हे0 में से हिस्सा 1/3 आराजी का बेचान दिनांक 31.05.2017 को अप्रार्थी कम 3 का कब्जा सम्भला दिया जिसमें प्रार्थीगण के हक–हकूक प्रभावित हुए है। इसलिए प्रार्थीगण बेचानशुदा आराजी में से अपने हक की आराजी जिसका बेचान प्रभाव शून्य है। प्रार्थीगण अपने हक तक उक्त आराजी को अप्रार्थी कम 3 की खातेदारी में खारिज करवाकर अपनी खातेदारी की घोषणा करवाकर प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज करवाकर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है। बिना सहायता न्यायालय अप्रार्थी कम 1 द्वारा किए जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

सम्भव नहीं है। यदि अप्रार्थी कम 1 अपने अवैधानिक एवं गैर कृत्य में सफल हो गया और आराजी को खुर्द–बुर्द कर दिया तो प्रार्थीगण को पैतृक सम्पति में चले आ रहे अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा तथा अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पडेगा जिससे प्रार्थीगण को अपरमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से किया जाना सम्भव नहीं है। अस्तु प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 व 2 में वर्णित आराजी में प्रार्थी कम 1 ता 3 का हिस्सा 1/5 व प्रार्थी कम 4 व 5 का हिस्सा 2/5 अर्थात् संयुक्त रूप से हिस्सा 3/5 का खातेदार घोषित करवाकर खाता विभाजन रकवाकर एवं प्रार्थना पत्र की मद नं0 2 में वर्णित आराजी में बेचानशुदा आराजी खसरा नं0 322 का रकबा 1.61 हे0 में प्रार्थीगण का हिस्सा अपने हक तक प्रभाव शून्य घोषित करवाकर अप्रार्थी कम 3 की खातेदारी में खारिज करवाकर प्रार्थीगण अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करवाकर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है। तथा अप्रार्थी कम 1 को ताफैसला वाद जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने के अधिकारी है। कि उक्त विवादित आराजी का बिना विभाजन हुए प्रार्थीगण का हक निश्चित हुए उक्त विवादित आराजी को रहन बेचान हस्तान्तरण व खुर्द–बुर्द नहीं करें ऐसा कृत्य न तो स्वयं करें न ही अपने प्रतिनिधियों से करावें इस हेतु यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र सत्य तथ्यों पर आधारित होने से सुविधा का सन्तुलन एवं न्याय का सन्तुलन प्रथम दृष्टया केस प्रार्थीगण के पक्ष में है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम पटना सम्वत् 2071–74 खाता सं0 170 नकल जमाबन्दी ग्राम महाराजपुरा सम्वत् 2071–74 खाता सं0 136 पेश की गई।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गयी। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रा0 पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है। कि विवादित आराजी वाके ग्राम पटना एवं महाराजपुरा में स्थित है। विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है। प्रा0 पत्र व दावा में राजीनामा हो चुका है। मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जावे। अप्रार्थी कम 1 मूलचन्द के खाते की आराजी है। मूलचन्द ने रामस्वरूप की भूमि बेचान की थी। रामस्वरूप ने बंटवारे का दावा नहीं किया है। प्रार्थिया दिनांक 20.09.2017 को अपने पक्ष में स्थगन ले रखा है। प्रतिवादी कम 1 ने स्थगन आदेश होने के बावजूद भूमि का बेचान कर दिया। भूमि पैतृक है। पैतृक सम्पति का बंटवारा चाहते है। राजीनामा तस्दीक किया है। अप्रार्थी मूलचन्द का 1/5 हिस्सा है। मूलचन्द अपने 1/5 हिस्से तक का बेचान कर सकता है। इससे अधिक भूमि का बेचान नहीं कर सकता। क्योंकि विवादित भूमि पेतृक है। पैतृक भूमि में सभी वारिसान का समान हक व हिस्सा निहित है।

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

प्रार्थीगण का प्रा0 पत्र स्वीकार किया जावे। में प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर निर्णय किया जावे। वाद ग्रस्त भूमि ग्राम पटना व महाराजपुरा के संबंध में केवलअप्रार्थी प्रतिवादी नं0 1 मूलचन्द के विरूद्ध वादग्रस्त भूमि का नियमानुसार विभाजन हुये तथा बिना हिस्से निश्चित हुये उक्त आराजी को कही रहन बेचान हस्तांतरशा व खुर्द बुर्द न करने के आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की हुई है। जिसके संबंध में भी वादीगया नं0 1 ता 5 तथा वादग्रस्त भूमि के रेकार्डेड खातेदार मूलचन्द प्रतिवादी नं0 1 द्वारा दिनांक 24.02.2022 को राजीनामा भी प्रस्तुत कर ताफैसला दावा कन्फर्म किये जाने की प्रार्थना की हुई है। उक्त राजीनामा एस0डी0ओ0 अटरू द्वारा दिनांक 24.02.2022 को ही तस्दीक किया जाकर शामिल फाइल किया हुआ है। उक्त राजीनामा के मुताबिक माननीय न्यायालय की ता फैसला दावा दिनांक 25.09.2017 को पारित की हुई अस्थायी निषेधाज्ञा आज्ञा को कन्फर्म करने को बाध्य है तथा प्रतिवादीगया नं0 2 व 3 को उक्त संबंध में आपत्ति उठाने का कानूनन कोई अधिकार नहीं है। चूंकि दिनांक 25.09.2017 का स्थगन आदेश प्रतिवादी नं0 1 मूलचन्द के विरूद्ध ही पारित है। इसके अलावा प्रतिवादी नं0 2 मुकेश वादग्रस्त भूमि का रेकार्डेड खातेदार नहीं है। तथा प्रतिवादी अप्रार्थी नं03 रामस्वरूप द्वारा दिनांक 31.05.2017 को कुल वादग्रस्त भूमि ग्राम पटना में से खसरा नं0 322 की 1.61 हे0 भूमि का अविभाजित 1/3 हिस्सा क्रय किया होना प्लीडकर उसके पक्ष में नामान्तर करशा की तस्दीक होकर उक्त भूमि के 1/3 हिस्से का सह खातेदार दर्ज हो जाने मात्र से ही उक्त भूमि के संबंध में पारित स्थगन आदेश दिनांक 25.09.2017 को खारिज करने की प्रार्थना की जा रही है। जो प्रतिवादी नं0 3 रामस्वरूप का भी निम्न नियमों के मुताबिक वादग्रस्त भूमि के किसी भी हिस्से पर उसका कानूनन कब्जा होना न माना जाने से स्वीकृति योग्य नहीं है। आर0आर0टी0 2011–12 (supp.)पृष्ठ 662 आर0आर0डी0 1996पृष्ठ 148, आर0 आर0 डी0 1987पृष्ठ 97 आर0 बी0 आई0 1998 पृष्ठ 462 आर0 आर0 टी0 2018–19 (supp.)पृष्ठ 497 आर0 आर0 डी0 1996 पृष्ठ 161 इस प्रकिया में प्रतिवादी नं0 3 द्वारा खसरा नं0 322 की 1.61 हे0 भूमि ग्राम पटना में बिना किसी चतुर्सीमा विभाजन व दिशा दर्शाये केवल 1/3 अविभाजित हिस्सा क्रय किया है। जिसके मुताबिक उसे कानूनन बतौर अजनबी केता बिना विभाजन भूमि पर प्रवेश भी कर लिया गया है। तो भी काबिज रहने का अधिकार नहीं है। उसमें नाम नामान्तर करशा तस्दीक किया जा चुका है। अजनबी केता को कानूनी रूप से केवल खरीद शुदा भूमि के विभाजन हेतू दावा प्रस्तुत करके ही कब्जा पाने का अधिकार है। इस प्रक्रीया में वादीगया नं0 1 ता 5 तथा कुल वादग्रस्त भूमि के तन्हा खातेदार मूलचन्द द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर वाद ग्रस्त भूमियों में वादीगया तथा प्रतिवादीगया नं0 1 व 2 का हिस्सा 1/5 होना स्वीकार कर कुल भूमि उनकी पैतृक संपत्ति होना भी स्वीकार करते हुए वादग्रस्त भूमियां विभाजित करने हेतु राजीनामा दिनांक 24.02.2022 को तस्दीक करवाया हुआ है। तथा प्रतिवादी नं0 3 रामस्वरूप द्वारा केवल खातेदार मूलचन्द से खसरा नं0 322

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

रकबा 1.61 हे0 भूमि में से अविभाजित 1/3 हिस्सा ही क्रय किया है। अतः उक्त आधार पर भी खसरा नं0 322 की 1.61 हे0 अर्थात् करीब 10 बीघा भूमि में से वह 1/5 हिस्सा मूलचन्द के हिस्से मे से जाने का हकदार हो सकता है। रामस्वरूप को उक्त आराजी राजीनामा मुताबिक विभाजित कराये जाने में आपत्ति उठाने का अधिकारी नहीं है। अतः उक्त वाद पत्र मय प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट मुताबिक राजीनामा दिनांक 24.02.2022 है। निर्णित फरमाया जावे।

बहस के दौरान वकिल अप्रार्थीगण द्वारा जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील अप्रार्थी का कथन है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी कम 1 द्वारा राजीनामा हमे छोडकर किया है। अर्थात एक खसरा नं. को छोडकर किया गया है। इनके द्वारा प्रस्तुत तीनों प्रार्थना पत्र पूर्व में खारिज हो चुके है। मूलचन्द को जमीन जगन्नाथ से मिली है। मूलचन्द दत्तक पुत्र है यह मूलचन्द की स्व अर्जित सम्पति है। रूलिंग भी पेश की गई है। मूलचन्द ने अपनी इच्छा से भूमि का बेचान किया है। मूलचन्द अकेला रहता था मुकेश को राजीनामा में सम्मिलित नहीं किया गया है। इन्होनें मूलचन्द का1/5 हिस्सा बताया है। वर्तमान में मूलचन्द ही अकेला खातेदार है। विभाजन सभी खसरा नं0 का होगा ना कि एक खसरा नं0 322 का। मूलचन्द ने अपने हिस्से की ही भूमि बेची है। प्रार्थीगण का भूमि पर कब्जा भी नहीं है। यह मूलचन्द की स्व अर्जित सम्पत्ति मानी जायेगी अभी तो प्रार्थी खातेदार ही नहीं है। यह खातेदार के विरूद्ध स्थगन कैसे प्राप्त कर सकते है। अप्रार्थी कम 1 मूलचन्द को विवादित आराजी जगन्नाथ से दान में मिली थी इसलिए अप्रार्थी कम एक की स्व अर्जित सम्पत्ति है। यह भूमि पैतृक सम्पत्ति नहीं है। क्योंकि इनके दादा से प्राप्त नहीं हुई है। इस भूमि को अप्रार्थी कम 1 रहन बेचान कर सकता है। प्रार्थीगण को रजिस्ट्री खारिज कराने के लिए सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना चाहिए था। रजिस्ट्री खारिज करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि को पैतृक होना बताया है। परन्तु प्रार्थी द्वारा पैतृक सम्पत्ति होने का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी कम 1 पर दबाव बनाकर अपने पक्ष में कर लिया है। इसलिए उनसे राजीनामा पेश करवा लिया है। राजीनामा तभी सम्भव है। तब सभी पक्षकारों की सहमति हो राजीनामा पर सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर भी जरूरी है। दो पक्षकारों को छोडकर राजीनामा नहीं किया जा सकता है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम पटना सम्वत् 2071–74 खाता सं0 170 मूलचन्द मुतबन्ना जगन्नाथ जाति धाकड सा0 देह के खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी के कॉलम सं0 11 से 17 में नामा0 सं0 826 दिनांक 31.05.2017 से जर्ये बेचान मूलचन्द ने खसरा नं0 322 में से हिस्सा 1/3 भूमि का बेचान रामस्वरूप पुत्र प्रभूलाल जाति धाकड को

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

करने का नोट अंकित है। नकल जमाबन्दी ग्राम महाराजपुरा सम्वत् 2071–74 खाता सं0 136 में मूलचन्द मुतबन्ना जगन्नाथ कोम धाकड सा0 देह का नाम दर्ज रिकार्ड है। इससे यह साबित होता है। कि विवादित आराजी अप्रार्थी कम 1 मूलचन्द को जगन्नाथ से मिली है। अपने पिता से विरासत में नहीं मिली है। यह भूमि पैतृक भूमि नहीं है। अप्रार्थी को भूमि बेचान करने का पूर्ण अधिकार है। प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी को पैतृक साबित करने का ऐसा कोई ठोस दस्तावेज व सबूत पेश नहीं किया जिससे विवादित आराजी पैतृक साबित हो सके। प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी के सम्बधं में राजीनामा प्रस्तुत किया था। राजीनामा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के बीच नहीं हुआ है। प्रार्थीगण द्वारा राजीनामा अप्रार्थी कम के मध्य किया है। अप्रार्थी कम 2 व 3 के मध्य राजीनामा नहीं हुआ। यह प्रस्तुत राजीनामा से साबित होता है वाद पत्र व प्रार्थना पत्र में जितने पक्षकार बनाए गए है। उन सभी के मध्य राजीनामा होने पर ही न्यायालय द्वारा तस्दीक किया जाता। प्रार्थीगण न तो खातेदार है और न ही भूमि पर कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण विवादित आराजी का खातेदार नहीं होने के कारण खातेदार के खिलाफ स्थगन प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थी द्वारा डी0एन0जे0 2015 (Rev)पेज नं0 59, awtarkhan v/s meharbano & ors, RRT 2018 (2) pag no. 1202 noor mohammad v/s muhas khan & ors, RRT 2018 (2) peg no. 1275 Bhagirth v/s Ramchandra & ors, RRT 2013 (1) peg no. 123 moharpal & ors v/s prabhu singh, DNS 2017 (1) peg no. 132 kamlesh bawri (smt) v/s Ranjeet singh & ors RRT 2020 (2) peg no. 1122 dalip v/s Ajay & ors उक्त दृष्टान्त में यह स्पष्ट है कि राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 212 अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज किया। उक्त दृष्टान्तों को मध्य नजर रखते हुए खातेदार के खिलाफ स्थगन प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner